न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 181/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. सुखदेव पुत्र धनसिंह 2. मेवसिंह पुत्र धनसिंह 3. सोहनसिंह पुत्र धनसिंह 4. पप्पूसिंह पुत्र धनसिंह जाति– रावत निवासी– रातडिया तहसील रायपुर जिला पाली 5. देवराजसिंह पुत्र धनसिंह रावत निवासी– 188, राजीव नगर, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा राजस्व अपील संख्या 29/2021 अनवान सुखदेव वगैराह बनाम राज्य में दिनांक 8.3.2022 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24 फरवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सेन्दडा के द्वारा अपीलान्टस के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 30/2021 दर्ज किया। पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्टस सुखदेव वगैराह के द्वारा ग्राम रातडिया में स्थित खसरा संख्या 3744 रकबा 1.2050 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए कब्जा किया है। जिस पर अपीलान्टस को नोटिस जारी किये गये, उक्त नोटिस की तामील मान कर अनुपस्थिति दर्ज करते हुए दिनांक 5.8.2021 को आदेश पारित करते हुए अपीलान्टस को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए गैर सायल को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं दो सौ रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। ना0 तहसीलदार सेन्दडा के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद बहस आदेश दिनांक 8.3.2022 को अपीलान्टस की अपील को अस्वीकार करते हुए ना0तहसीलदार के आदेश की पुष्टि कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित उक्त दोनों अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपील अस्वीकार की है एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का कानूनी परिप्रेक्ष्य में परिशीलन नहीं किया गया। ना0 तहसीलदार के द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त अपीलान्टस की तलबी हेतु जो नोटिस जारी किये गये वे नोटिस अपीलान्टस के

पास आये नहीं और न ही विधिक तामील करवाई गई और न ही प्रकरण दर्ज होने की जानकारी हुई। अपीलान्ट तत्समय गांव में ही थे, ऐसे में यह नहीं कहा गया कि अपीलान्टस बाहर गये हुए है, इस कारण तामील कुनिन्दा को अपीलान्टस से नोटिस तामील करवाने चाहिये थे, जो नहीं करवाये गये। ना0 तहसीलदार के द्वारा भी अपीलान्टस की तामील मानकर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया और अपीलाधीन आदेश को यथावत रख दिया।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक प्रतिपादित सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई और एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया और राजनैतिक दवाब के कारण अपीलान्टस को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा दे गई, जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्टस की स्वयं की खातेदारी भूमि के पास ही ग्राम की आबादी भूमि आई हुई है तथा अपीलान्टस अपनी खातेदारी के अनुरूप ही भूमि पर काबिज है। सीमाज्ञान न होने के कारण व भूलवश ऐसी स्थिति हो सकती है कि सुखदेवी वगैराह का तथाकथित सरकारी भूमि पर कब्जा ना0 तहसीलदार द्वारा माना जा रहा हो। ग्रामवासी हुकमसिंह, मोहनसिंह अपीलान्टस से रंजिश रखते है, इसलिये अपीलान्टस के विरूद्ध राजनैतिक दबाव से बेबुनियाद व झूठी शिकायत करते रहे है। पूर्व में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है जिससे यह साबित हुआ कि मोहनसिंह के द्वारा झूठी शिकायते की गई, जो अपीलाधीन प्रकरण में भी कई गई और ना0 तहसीलदार सेन्दडा से मिलीभगत कर आदेश पारित करवा दिया गया।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में जारी आदेश है जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन दोनों आदेश क्रमशः दिनांक 5.8.2021 एवं 8.3.2022 को निरस्त किया जावें एवं अपीलान्टस की सजा स्थगित फरमाई जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सेन्दडा के द्वारा अपीलान्टस के विरूद्ध राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिक रूप से प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्टस को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया एवं अपीलान्टस को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए भूमि से बेदखल करने व तीन माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जो बहाल रखा जावे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस की अपील को भी अस्वीकार किया गया है। अतः अपीलान्टस की अपील खारिज की जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 05.08.2021 एवं दिनांक 08.03.2022 का अवलोकन किया गया। श्री सुखदेव वगैराह के ...

रातड़िया के खसरा संख्या 3744 रकबा 1.2050 हैक्टर में पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर दिनांक 5.8.2021 को आदेश किये गये चूंकि प्रार्थी के द्वारा उक्त कार्यवाही के पश्चात अतिक्रमण मौके से हटा दिया गया है व उप तहसीलदार सेन्दड़ा की रिपोर्ट दिनांक 7.6.2022 व दिनांक 24.06.2022 अनुसार मौके से अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा हटा लिया जाने के कारण मौके पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उप तहसीलदार सेन्दड़ा के आदेश दिनांक 5.8.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए 02 माह की सिविल कारावास सम्बन्धी प्रविष्टि की हद तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय आज दिनांक 24 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर